स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित इस्पात की उच्चलागत

1018. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित इस्पात की लागत विश्व के अन्य विकासशील और विकसित देशों में उत्पादित इस्पात की लागत की तुलना में अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय विश्व में विकसित और विकासशील देशों में इस्पात की औसत उत्पादन लागत कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय लोहे की उत्पादन लागत में पिछले दो दशकों के दौरान अपेक्षाकृत अत्यधिक वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और कम उत्पादन-लागत को सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं तथा इस संबंध में भावी योजना क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) प्रौद्योगिकीयों, आदान मूल्यों तथा क्वालिटी, सांविधिक लेबियों, स्वचालन तथा प्रचालन की मात्रा में विभिन्नताओं के कारण विश्व के अन्य उत्पादकों के साथ स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की उत्पादन लागत के आंकड़े सही अर्थ में तुलनीय नहीं हैं । तथापि, मोटे तौर पर "सेल" के कारखानों की लागत अन्यों की तुलना में अधिक नहीं है, हालांकि अन्यों की लागत की तुलना में उनमें पिछल दशकों में सापेक्ष रूप में अधिक तीव्र गति से वृद्धि की गयी है । ये आंकड़े वर्गीकृत सूचना हैं और उनको प्रकट करना कम्पनियों के वाणिज्यिक हित में नहीं है । भारत में उत्पादन की समग्र लागत अधिक है, इसका मुख्य कारण उच्च वित्तीय लागत, पूंजीगत संबंधी परिवर्तन तथा निम्न उत्पादकता है ।

सीमा-शुल्क गृहों समाहर्तालयों में लम्बित सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क अपवंचन के मामले

1019. **श्रीमती कैलाशपति :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990 के आरम्भ में सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित अनेक मामले सीमा-शुल्क गृहों/समाहर्तालयों में विचाराधीन थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी थी और विवादग्रस्त सामान का मूल्य क्या था ;

(ग) इनमें से ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनका 1 जनवरी, 1990 से 30 जून, 1990 के दौरान निर्णय हो चुका है ; और

(घ) क्या सरकार ने इन बकाया मामलों के शीघ्र निपटान के लिये व्यवस्था करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क)से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

Major Irrigation Projects received from Andhra Pradesh pending clearance

1020. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what are the major irrigation projects received from Andhra Pradesh that are pending clearance at present; and

Major Irrigation projects received from Andhra Pradesh that are pending clearance at present; and

(b) what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) and (b) Jurala Project was found acceptable by the Advisory Committee subject to among others obtaining the clearance from environmental and forest angles by the State Government. Telugu Ganga and Vamsadhara Stage-II Projects have been techno-economically examined but require resolution of inter-State issues before consideration by the Advisory Committee. Vamsadhara Stage-II Project requires clearance from environment and forest angles also.

Steps to prevent under invoicing of imports

1021. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what steps Government have taken to prevent under invoicing of imports into India with the objective of reducing the incidence of evasion of customs duty; and

(b) how the import valuation code under GATT helps such under invoicing?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) Government does have a well established machinery for preventing the under-invoicing of imports into India. Value of all imported goods is scrutinised at the time of assessment on importation. Besides normal scrutiny, there are specialised agencies (such as Special Investigation Branches, Special Valuation Branches in the Custom Houses and Directorate of Revenue Intelligence at all India level) which collect intelligence/information regarding under-valuation and investigate cases of under-valuation.

(b) Valuation provisions contained in Section 14 of the Customs Act, 1962 and the rules made thereunder in pursuance of the GATT Valuation Code do not help in any under-invoicing.

Restricting the power of Court in interlocutary matters

1022. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state whether Government are considering any proposal to restrict the powers of revision and appeal of the appellate courts in interlocutary matters in order to minimise the litigations and accumulation of arrears, and if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI): No, Sir. No such proposal is under consideration of the Government.

पंजाब में चुनाव कराने के लिए सरकार द्वारा उठाएं गए कदम

1023. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर, 1990 में पंजाब में चुनाव कराने के लिये सभी आवश्यक कदम उठा लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) पंजाब में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 10 नवम्बर, 1990 को समाप्त होगी । अत: पंजाब में निर्वाचन कराये जाने का विनिश्चय उचित समय पर किया जायेगा । तथापि, निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण, मतदान केन्द्रों की सूची के पुनर्विलोकन, आवश्यक सामग्री आदि प्राप्त करने जैसे आरंभिक उपाय पहले से ही आरम्भ कर दिये हैं जिससे कि जब कभी भी निर्वाचन कराने का विनिश्चय किया जाये वह उसे कराने में समर्थ हो सके ।